

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक-एफ14()एफसीए/उत्तर/2017-18/ 7534

दिनांक- 21/08/2017

निमित्त,

प्रबन्धक,
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया,
अजमेर।

विषय:- Diversion of 6.35 Hectare Forest Land for 400 KV Ajmer (New)-Ajmer (RVPN) Power Transmission line for Power Grid Corporation of India Limited, Ajmer.

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र संख्या 8वीं/राज/5-3/2007/एफसी/200 दि.04.08.2017 के क्रम में।

भावदीय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 19.8 में कि. सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.08.2017 (छायाप्रति नमूना) से 6.35 हेक्टर वनभूमे परापूर्व एच 89 वृक्षा के गतन की गणेश्वर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किये जाने पर उच्च कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मांग पत्र अनुसार राशि जमा कराये एवं शर्तों की विन्दुवार विधिवत् पालना रिपोर्ट एवं वचनवद्धता प्रमाण-पत्र के पत्र निम्नलिखित।

क्र.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जल संसाधन विभाग, अजमेर	प्रयोज्य अधिकरण	विशेष विवरण
1.	कार्यालय (माध्य) लखनऊ का पत्रांक 8वीं/राज/04/6/2017/एफसी/200 दि.04.08.2017 का आदेश स्वीकृति की शर्तें	द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	
2.	शर्त संख्या-2 अनुसार प्रस्तावित क्षतिग्रस्त क्षेत्र वन विभाग के अधीन प्रस्तावित वनक्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर (12.7 हेक्टर) (6.35X2=12.7 hec) को क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं 10 वर्षों के समयसमय हेतु आवश्यक वन राशि (प्रधानतः दण्ड) का समायोजन करके (एफसी/200 दि.04.08.2017 के क्रम में) जमा कराई जायेगी।	16,38,300/-	राशि रु. 86,23,400/- को OSMFWCP द्वारा सृजित ई-चालान/आरटीजीएस/ एनाफटी (जो भी लागू हो) द्वारा कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराई जाये।
3.	शर्त संख्या-3 अनुसार प्रयोज्य अधिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे दोनों पक्षों (मुख्यतः अफ्रीका में) के राशियां एवं 10 वर्षों के समयसमय हेतु आवश्यक वन राशि (प्रधानतः दण्ड) का समायोजन करके (एफसी/200 दि.04.08.2017 के क्रम में) जमा कराई जायेगी।	30,10,000/-	
4.	शर्त संख्या-4 अनुसार प्रयोज्य अधिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे दोनों पक्षों (मुख्यतः अफ्रीका में) के राशियां एवं 10 वर्षों के समयसमय हेतु आवश्यक वन राशि (प्रधानतः दण्ड) का समायोजन करके (एफसी/200 दि.04.08.2017 के क्रम में) जमा कराई जायेगी।	39,75,100/-	
क्र.सं 1 व 3 का योग		86,23,400/-	

प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ16()प्रमुख/वसु/97/2508 दि.11.04.2007 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दृष्टि से शर्तों के क्रम में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र की परतुल करे।

वचन - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ी)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक - एफ/

दिनांक:-

प्रतिनिधि निम्न का सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनाएं एवं आवश्यक आदेशों हेतु प्रेषित हैं:-

- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नाइल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर नियुक्त है कि प्रकरण में शर्त संख्या-3 की शर्तें भारत सरकार की शर्तोंनुसार राज्य सरकार के पास जमा की जायेगी, अंकित होने पर, आपसे हुई दस्तावेजों वाली अनुसार उक्त राशि भी पत्रों के कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा कराये जाने के निर्देश दिए जाने पर प्रयोज्य अधिकरण को समस्त राशि को OSMFWCP द्वारा सृजित ई-चालान/आरटीजीएस/ एनाफटी (जो भी लागू हो) द्वारा कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया गया है।
- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान।

उप वन संरक्षक
अजमेर